मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 (30 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

श्री पवेसिंह पारगी, पूर्व सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा के निधन पर सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोद् गार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में कार्यवाही 10.41 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.51 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2 , 3, 4, 7 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदसय की खाचरौद में छात्राओं का स्थानांतरण अन्य विद्यालयों में किये जाने,
(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डौरी जिले के हाई स्कूल का उन्नयन न किये जाने,
(3) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम हटा से ग्राम कोढवा तक सड़क मार्ग के जर्जर होने,
(4) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की छतरपुर जिले के नौगांव में प्रशिक्षण कार्य में पदस्थ कर्मचारियों को वेतन मिलने,
(5) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट), सदस्य की ग्वालियर में बी.एस.सी. पांचवे सेमिस्टर के छात्रों की विशेष परीक्षा कराई जाने,
(6) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य राजगढ़ के ब्यावरा स्थित घोड़ापछाड़ नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने,
(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की जबलपुर जिले के ग्राम बरगी बरखेड़ा निवासी महिला को मिली भूमि पर स्कूल खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
(8) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की ग्वालियर जिले के भितरवार एवं घाटीगांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण न होने,
(9) श्री उमंग सिंघार, सदस्य की सरदारपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दोषी पाये जाने पर भी कार्रवाई न होने,
(10) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य की अशोक नगर जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स की नियुक्ति में अनियमितता होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (दिनांक 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 तक) पटल पर रखा.

परिवहन आरक्षकों की भर्ती संबंधी बात कहते हुए, श्री उमंग सिंघार, सहित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आए. अत्यधिक व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.41 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11. 53 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आकर बैठ गए. अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे अपने-अपने स्थान पर जाकर सदन की कार्यवाही चलने देने हेतु अनुरोध किया गया. सदन में व्यवधान के मध्य, कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर कार्यवाही जारी रही.

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र पाण्डेय, यशपाल सिंह सिसोदिया तथा बहादुर सिंह चौहान, सदस्यगण ने रतलाम, उज्जैन एवं मन्दसौर जिलों में बन्द पड़ी शुगर मिलों को पुन: चालू किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अत्यधिक व्यवधान के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.15 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.26 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण पुन: गर्भगृह में आकर बैठे तथा नारेबाजी की गई. व्यवधान के मध्य कार्यवाही जारी रही.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने बुरहानपुर को मेगा डेस्टीनेशन योजना में शामिल न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, पर्यटन ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(2) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(3) पं. रमेश दुबे (जिला-छिंदवाड़ा)
(4) श्री के.के.श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(5) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(6) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(8) श्री महेन्द्र हार्डिया (जिला-इन्दौर)
(9) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

9. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

18. श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार सात सौ उनसठ करोड़, एक लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार छ: सौ तिहत्तर करोड़, तिहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए आठ हजार तीन सौ बयासी करोड़, सतासी लाख, पचास हजार रूपये
अनुदान संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए पॉच सौ बीस करोड़, अठासी लाख रूपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए पचानवे करोड़, तीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार एक सौ इकसठ करोड़, सोलह लाख, चौंसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ पैंसठ करोड़, सत्तर लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पॉच हजार आठ सौ चार करोड़, छप्पन लाख, पचपन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए छियालीस करोड़, उनसठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये किन्तु गर्भगृह से कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण चर्चा प्रारंभ नहीं हो सकी. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का लिखित उत्तर पटल पर रखा गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19. श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार पॉंच सौ नवासी करोड़, अठासी लाख, इकसठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा, गर्भगृह से कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान के कारण,प्रारंभ नहीं हो सकी. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री का लिखित उत्तर पटल पर रखा गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मध्याह्न 12.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 (31 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 जुलाई, 2014